

तत्काल

सं०: एस-11011/2/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

\*\*\*\*\*

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली, 110003  
दिनांक- 14.12.2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,

(उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड)


विषय: स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट के अंतर्गत गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों को वित्तपोषण का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में

महोदय,

मुझे यह बताने का निदेश हुआ है स्वच्छ भारत कोष(एसबीके) ट्रस्ट की संचालन समिति की दूसरी बैठक में यह सिफारिश की गई है कि माता अमृतानंदमयी मठ के योगदान से प्राप्त 50 करोड़ रुपये से गंगा नदी के आस-पास के चिह्नित क्षेत्रों के प्रस्तावों का वित्त पोषण किया जाए।

2. तदनुसार आपसे अनुरोध है कि दिनांक 18/06/2015 के पत्र के माध्यम से संयुक्त सचिव, एमडीडब्ल्यूएस द्वारा पहले सूचित स्वच्छ भारत कोष दिशा-निर्देशों के अनुसार गंगा नदी के आस-पास की ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रस्तावों और उनकी समय-सीमा का विवरण प्रस्तुत करें। प्रस्ताव के साथ-साथ स्वच्छ भारत कोष के लिए खोले गए पृथक बैंक खाते और कार्यान्वयन संस्था, नोडल अधिकारी आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी भी दें।

भवदीया,

  
(स्त्रिस्टीना कुजूर)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. एसबीएम(जी) राज्य समन्वयक, सभी पाँच राज्य
2. तकनीकी निदेशक(एनआईसी)-मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।